

न्यायालय — प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी —जयदीप सिंह)

व्यवहार वाद क्रमांक- 3ए/2014

संस्थापन दिनांक :- 16.08.2011

विनोद कुमार अवस्थी पिता स्व. चंद्रकिशोर अवस्थी,

उम्र 62 वर्ष जाति ब्राम्हण पेशा व्यापार,

नि. कोठी बजार कमानी गेट के पास बैतूल

तह. जिला बैतूल (म.प्र.)

.....वादी

( वि-रू-द्ध )

1. प्रमोद अवस्थी उम्र 64 वर्ष धंधा व्यवसाय,  
आत्मज चंद्रकिशोर अवस्थी नि. कमानी गेट  
के पास कोठी बाजार बैतूल
2. सुबोध अवस्थी वल्द चंद्रकिशोर अवस्थी उम्र 62 वर्ष,  
सा. ग्राउंड फुटबाल के सामने डब्ल्यू सी एल  
पाथाखेडा सारणी तह. जिला बैतूल
3. नागेश अवस्थी वलद चंद्रकिशोर अवस्थी उम्र 55 वर्ष
4. राजेश अवस्थी उम्र 62 वर्ष वल्द चंद्रकिशोर अवस्थी
5. ब्रजेश अवस्थी वल्द चंद्रकिशोर अवस्थी उम्र 50 वर्ष,  
तीनों निवासी कमानी गेट के पास कोठी बाजार  
बैतूल तह. जिला बैतूल
6. श्रीमती अलका पति अरविंद मिश्रा उम्र 59 वर्ष  
जाति ब्राम्हण पेशा गृहकार्य नि. ए/703 एक्सोटिका  
ईस्ट स्क्रेयर प्लॉट नंबर 1 माल रोड अहिंसा खंड 2  
गाजियाबाद यू.पी.
7. श्रीमती अंशु शुक्ला पति राजेन्द्र शुक्ला उम्र 37 वर्ष  
पेशा ग्रहणी नि. असिसटेन्ट मेकेजर इन्डोरामा बुटी नागपुर
8. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर  
कलेक्टर आफिस बैतूल
9. पुष्पलता जौ. पंकज साबले उम्र 35 वर्ष

कोठी बाजार बैतूल (म.प्र.)

10. ललित व. स्व. मिश्रीलाल जसूजा,  
मोहन कालोनी सिविल लाईन बैतूल (म.प्र.)

11. अमित व. रमेश साबरे उम्र 21 वर्ष,  
मोतीवार्ड बैतूल (म.प्र.)

12. विजय व. मानिकराव महस्की उम्र 35 वर्ष,

ग्राम सेलगांव जिला बैतूल (म.प्र.).....प्रतिवादीगण

—: : ( आदेश ) : :—

( आज दिनांक 04-11-2016 को पारित किया गया )

1— इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सहपठित धारा 151 का निराकरण किया जा रहा है ।

2— वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित संपत्ति मौजा बांसपानी प.ह.नं. 29 खसरा नं. 50 रकबा 3.602, ख.नं. 66 रकबा 0.812 हे. ख. नं. 69 रकबा 1.935 हे. तथा ग्राम उडदन प.ह.नं. 13 की भूमि ख.नं. 149 रकबा 0.121 हे., ख.नं. 217 रकबा 2.675 हे., ख.नं. 218 रकबा 4.768 हे., ख.नं. 290 रकबा 0.802 हे., ख.नं. 291 रकबा 2.237 हे., खं न. 292 रकबा 0.850 हे., ख. नं. 293 रकबा 0.906 हे., ख. नं. 296 रकबा 1.092 हे. ख. नं. 393 रकबा 0.906 हे., ख. नं. 316 रकबा 0.096 हे., ख.नं. 323/1 रकबा 0.020 हे., ख.नं. 296 रकबा 1.092 हे, खं. नं. 321 रकबा 3.271 हे. एवं ग्राम टिकारी पं.ह.नं. 54 खसरा नंबर 206/1 रकबा 0.797 हे., ख.नं. 206/2 रकबा 0.011 हे. एवम ख. नं. 207 रकबा 0.129 हे. की संयुक्त कृषि भूमि में से बिना विधिपूर्ण व त्रुटिपूर्ण बंटवारा दिनांकित 28.10.2006 के आधार पर प्रतिवादी क. 2 सुबोध अवस्थी द्वारा ब्रजेश अवस्थी भाई की सहमति से दुरभि संधि कर बगैर अन्य खातेदारों की सहमति प्राप्त किये ग्राम टिकारी प.ह.नं. 54 के खसरा नं. 206/1 रकबा 0.797 में से 0.099 हे. याने 25 डिसमिल जमा 232 भूमि

का असत्य नक्शा बनाकर अर्पित अग्रवाल को दिनांक 19.03.2013 को रजिस्ट्री में दर्शित चतुर्थ सीमा अनुसार रुपये 30,00,000/-रुपये में रजिस्ट्री कर दी जो गैर कानूनी एवम अवैधानिक होकर वादी पर बंधनकारक नहीं है और न खरीददार को संयुक्त भूमि का बंटवारा नहीं होने से कब्जा एवं भूमि स्वामी अधिकार ही प्राप्त होते हैं। विक्रेता सुबोध अवस्थी एवं ब्रजेश अवस्थी द्वारा दुरभिसंधि कर वादी को नुकसान पहुंचाने हेतु प्रकरण के लंबित रहने के दौरान भूमि की बिक्री कर रहे हैं। प्रतिवादी क्र. 2 एवं प्रतिवादी क्र. 4 तथा सुबोध अवस्थी, राजेश अवस्थी द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में ग्राम टिकारी की भूमि खसरा नंबर 206/1, 206/2, 207/2 रकबा क्रमशः 0.797, 0.011, 0.129 हे के बंटवारे हेतु आवेदन पेश किया था जो दिनांक 30.04.2009 को निरस्त किया जिसकी अपील प्रतिवादी क्र. 6 अलका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के न्यायालय में रा.अपील क्र. 50अ/27 वर्ष 2009-10 प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 07.07.2010 के अनुसार तहसीलदार के आदेश को यथावत रखते हुये अपील निरस्त की गई। उक्त निर्णय की अवहेलना कर प्रतिवादीगण द्वारा शामिल शरीक भूमि में से भूमि विक्रय की तथा भविष्य में भी विक्रय करने के लिये भूमि विक्रय दलालो एवं खरीददारों के संपर्क में है व भूमि दिखाई जा रही है तथा खरीददार सुंदरलाल सूर्यवंशी बार बार भूमि देखकर जा रहे हैं।

3- इसके अलावा प्रतिवादी क्र. 5 ब्रजेश अवस्थी बिना बंटवारे सम्मिलित भूमि ख. नं. 206/1 में पक्का निर्माण कर रहा है तथा इसी रकबे की खाली जमीन विक्रय करने के लिये लगातार खरीददार एवं दलालो के संपर्क में है। प्रतिवादी क्र. 4 राजेश अवस्थी ने दैनिक भास्कर दिनांक 8 मई 2014 को आम सूचना दी कि कोई भी खरीददार सम्मिलित भूमि जिसका उल्लेख आम सूचना में है, को न खरीदे। अल्का एवं अंशु द्वारा तहसीलदार न्यायालय से राजस्व अभिलेख अद्यतन किये जाने बाबत प्रतिवादी क्र. 2 प्रमोद कुमार का नाम आदेश दिनांक 30.07.2013 ख नं 206/1 रकबा 0.797 ग्राम टिकारी में से नाम विलोपित करवा दिया है, इस प्रकार सारे तथ्यों को छुपाते हुये छलपूर्वक नाम विलोपित किया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में अपीलार्थी स्वयं अलका थी। वादी को विदित हुआ कि प्रतिवादी क्र. 2 सुबोध अवस्थी द्वारा ग्राम बांसपानी प.ह.नं. रा.नि. में खेडीसांवलीगढ की सम्मिलित कृषि भूमि ख नं 69 रकबा 1.935 हे. एवं ख नं 50

रकबा 3.602 हे भूमि का बंटवारा अपने परिवार के सदस्यों पत्नि, पुत्र एवं स्वयं के मध्य बिना सूचना दिये तहसीलदार बैतूल से खसरे नंबर 50का 50/1, 50/2, 50/3 करा लिया तथा ख नं 50 एवं 69 के बटे नं 69/3 रकबा 0.405 हे अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के रा.प्र.क्र. 315 अ-2 वर्ष 2011-12 आदेश दिनांक 26.06.2012 के अनुसार व्यवसायिक प्रयोजन हेतु गैर कृषि भूमि उपयोगार्थ परिवर्तित करा लिया। उक्त भूमि राजमार्ग एन एच 69 से लगी है तथा अत्यंत कीमती है। इसी तरह ख नं 50 रकबा 0.809 हे की भूमि गैर कृषि कार्य हेतु व्यपवर्तन करवा लिया जिससे स्पष्ट है कि वादी को विभिन्न तरह से अवैधानिक कृत्य कर वादी को नुकसान पहचाना चाहते हैं। प्रतिवादी अंशु एवं अलका जो विवाहित होकर नागपुर एवं नोयडा में निवासरत हैं ने बांसपानी की जमीन का बंटवारा तहसीलदार से करवाकर मूल ख नं 66 के बटे नं 66/1, 66/2 करवा लिया है जिसे बेचने के लिये वे अशोक राठौर से लगातार संपर्क में हैं क्योंकि न तो उनके द्वारा स्वयं खेती की जाती है और न ही देखभाल की जाती है। बंटवारा दिनांक 28.10.2006 को न मानते हुये क्रमशः प्रतिवादी क्र. 3,5,6,7 द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2007 को ग्राम टिकारी की कृषि भूमि 206/1, 206/2 एवं 207 को उचित एवं त्रुटिपूर्ण मानते हुये वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा निष्पादित किया जिस पर वादी एवं प्रतिवादी क्र. 1 प्रमोद अवस्थी, प्रतिवादी क्र. 3 नागेश अवस्थी, प्रतिवादी क्र. 4 राजेश अवस्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं न ही स्वीकार किया है। तहसीलदार द्वारा उक्त बंटवारा त्रुटिपूर्ण मानकर प्रतिवादी क्र. 2 का आवेदन खारिज किया है। इस प्रकार प्रतिवादी क्र. 2 से 7 संयुक्त कृषि भूमि का अवैधानिक विक्रय कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों बंटवारे प्रभावहीन हो गये हैं। ब्रजेश अवस्थी प्रतिवादी क्र. 5 द्वारा भी सम्मिलित कृषि भूमि ग्राम उडदन की ख नं 291, 218, 290, 292 को अपना हिस्सा बताकर तहसीलदार से बंटवारा बिना सभी वारसान को सूचना दिये ख न 291/2 रकबा 1.428 हे. अर्थात् 3 एकड़ जमीन चार लाख रुपये में प्रतिवादी पुष्पलता, ललित एवं विजय को विक्रय कर रजिस्ट्री निष्पादित कर दिया है। इसके अलावा प्रतिवादी क्र. 4 ब्रजेश द्वारा मौजा उडदन की कृषि भूमि 218/3 कुल 1.834 हे. में से 405 हे. अर्थात् 1 एकड़ जमीन 1,95,000/-रुपये में दिनांक 30.08.2011 को अमित के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है परंतु विक्रित की गई कृषि भूमि अधिक मूल्यवान होकर कम कीमत में बेची गई है। इससे स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी की सम्मिलित

कृषि भूमि में से विवादित भूमि जानबूझकर वादी को नुकसान पहुंचाने की गरज से बिक्री की गई है। प्रतिवादी पुष्पलता ने ख नं 218/6 रकबा 0.405 हे में से 0.202 हे. जमीन विनयसिंह चौहान को पांच लाख रुपये में रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 30 मई 2012 को निष्पादित कर दिया। अमित द्वारा विनयसिंह चौहान को 218/6 में से 0.202 हे. जमीन उडदन की 3,26,500/-रुपये में विक्रय कर बैनामा निष्पादित कर दिया है। वादी को पूर्ण विश्वास है कि प्रतिवादी क. 2 से 7 वादी के वैधानिक हक व हिस्से की कृषि भूमि का विक्रय कर देंगे इसलिये वादी के पक्ष में प्रतिवादी क. 2 से 7 के विरुद्ध प्रकरण के निराकरण तक निषेधाज्ञा जारी की जावे कि आवेदन में उल्लेखित कृषि भूमि का विक्रय, बंधक, दान लीज पर न दे न कोई निर्माण करे तथा बहुवाद को प्रोत्साहन न दे।

4- प्रतिवादी क. 5,9,11 की ओर से उक्त आवेदन का जवाब पेश कर यह निवेदन किया है कि वादी विनोद अवस्थी ने पूर्णतः असत्य आधारों एवं तथ्यों के आधार पर यह आवेदन पेश किया है। स्व. चंद्रकिशोर अवस्थी के समक्ष हुए बंटवारे के आधार पर दिनांक 28.1.2006 को बंटवारे की अभिस्वीकृति पत्र का निष्पादन हुआ था जिसमें सभी पक्षकारों ने पूर्ण सहमति से हस्ताक्षर किए थे। यह मूल बंटवारानामा स्वयं विनोद अवस्थी ने अपने आधिपत्य में रखा था तथा इसी बंटवारेनामे के आधार पर बंटवारे की अभिस्वीकृति में उल्लेखित संपत्ति पर स्व. चंद्रकिशोर के सभी पुत्र, पुत्रियों के द्वारा मौजा हमलापुर, बांसपानी, उडदन एवं टिकारी में नामांतरण करवाया गया है। ऐसी कोई भूमि नहीं है जिस पर वर्तमान में स्व. चंद्रकिशोर अवस्थी का नाम ही राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा हो अर्थात् इंद्राज पूर्ववत् ही चला आ रहा हो। स्वयं विनोद अवस्थी ने मूल बंटवारे का अभिस्वीकृति पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया हो, वादी का आवेदन पूर्णतः असत्य है। बंटवारे के आधार पर दिनांक 28.10.2006 को अभिस्वीकृति पत्र का निष्पादन हुआ है, के अनुसार सभी पक्षकार पृथक पृथक आधिपत्य में भी चले आ रहे हैं। एक बार बंटवारा स्वीकार कर लिये जाने के बाद आठ पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार को यह अधिकार नहीं है कि वह 6 साल बाद बंटवारे को पुनः चुनौती न्यायालयीन कार्यवाही के माध्यम से दे। प्रथम दृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है। निषेधाज्ञा दिए जाने से समस्त प्रतिवादीगणों को अपरिमित क्षति होगी एवं प्रतिवादीगण संपत्ति के उपयोग एवं उपभोग से वंचित हो जायेंगे, अतः वादी का आवेदन पत्र सब्यय निरस्त किया जावे।

**5- विचारणीय प्रश्न यह है कि :-**

1. क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में है।
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. अपूर्णीय क्षति का प्रश्न ?

**विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 :-**

6- वादी ने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी ने जवाब के समर्थन में प्रतिवादी क. 2 ब्रजेश अवस्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिनमें वर्णित तथ्य एक दूसरे का पारस्परिक खण्डन करते हैं। ऐसी स्थिति में अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही कोई अंतिम निकर्ष अभिनिर्धारित किया जा सकता है।

7- अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पूर्व में प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2012 को निराकृत किया गया और यह अंतरिम निष्कर्ष अभिनिर्धारित किया गया कि वादी ने अपने आवेदन पत्र में मौजा बांसपानी स्थित खसरा नंबर 50 रकबा 3.692 हे. भूमि को संयुक्त परिवाद की संपत्ति होना प्रगट किया है जिसे वादी एवं प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के बाद पूर्व में हुये विभाजन के अनुसार दिनांक 28.10.2006 को आपसी विभाजन की याददाश्त के रूप में तैयार किया जाना प्रगट किया गया। वादी ने कथित बंटवारानामा की याददाश्त 28.10.2006 की मूल प्रति प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी क. 2 सुबोध अवस्थी के हिस्से में ग्राम बांसपानी स्थित खसरा नंबर 50 रकबा 3.692 हे. भूमि प्राप्त होना दर्शित होता है किंतु वादी ने पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र में बांसपानी स्थित खसरा नंबर 50 रकबा 3.692 हे. भूमि को विवादित नहीं किया है और न ही इसके संबंध में कोई अनुतोष चाहा है। ऐसी दशा में न्यायालय द्वारा यह अंतरिम निष्कर्ष अभिनिर्धारित किया गया कि उभय पक्ष के अभिवचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि ग्राम बांसपानी स्थित खसरा नंबर 50 रकबा 3.692 हे. भूमि प्रतिवादी क. 2 के हिस्से में आपसी विभाजन के अनुसार प्राप्त हुई जिसे वादी ने विवादित नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त भूमि के निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत आवेदन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया

प्रचलन योग्य न होने से वादी द्वारा पेश आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

8— पुनः दिनांक 23.04.2012 को प्रतिवादीगण की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खसरा नंबर 206/2 में से चार हजार वर्गफीट भूमि उनके स्वामित्व की है जिसमें वादी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है जबकि वादी को निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही उसके किसी अंश को विक्रय करने का अधिकार है तब न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में विवादित भूमि खसरा नंबर 206/2 के संबंध में प्रतिवादी के अभिवचन को ध्यान में रखते हुये खसरा नंबर 206/2 रकबा चार हजार वर्गफीट भूमि जिसका वर्तमान खसरा नंबर 6/3 रकबा 0.037 हे. वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है और उक्त भूमि विवादित नहीं है। यद्यपि वादी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया और ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी का कोई विवाद हो तो वह दावा पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उक्त भूमि बंटवारानामा की याददाश्त में भी उल्लेखित नहीं है। उक्त आदेश में न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रतिवादी क्र. 2 की ओर से पृथक से प्रतिदावा पेश कर खसरा नंबर 206/2 रकबा चार हजार वर्गफीट भूमि पर किये गये वादी के निर्माण को तोड़ने व हटाने हेतु आदेशात्मक व्यादेश का दावा किया गया है। इस प्रकरण में खसरा नंबर 206/2 रकबा चार हजार वर्गफीट भूमि ही विवादित होना उस समय पायी गयी थी और वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया था जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो सके कि उक्त खसरा नंबर की भूमि पर वादी का एकल स्वत्व हो। साथ ही वादी के द्वारा उक्त खसरा नंबर की भूमि का कथित इकरारनामा दिनांक 19.03.96 के अनुसार उसके पिता के जीवनकाल में प्राप्त होना प्रगट किया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि मान्य दस्तावेज प्रगट नहीं होता और इस प्रकरण में न्यायालय ने यह पाया कि खसरा नंबर 206/2 के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादी के पक्ष में है और तब न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादीगण द्वारा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर वादी के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की कि विवादित खसरा नंबर 206/2 रकबा चार हजार वर्गफीट भूमि पर किये गये निर्माण के किसी भी भाग को वादी किसी प्रकार से अंतरित न करे और उक्त आदेश तीन माह तक या प्रकरण के अंतिम निराकरण तक रहेगा। उक्त अवधि के बाद जो भी आये आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

9- पुनः दिनांक 30.09.2013 को वादी द्वारा एक अन्य अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि उसे तथा प्रतिवादीगण को उसके पिता स्व. चंद्रकिशोर अवस्थी से प्राप्त हुई थी और विवादित भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति है जिसमें उसका 1/8 हिस्सा है तथा विवादित भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय हेतु प्रयत्न किया जा रहा है। पूर्व में प्रतिवादी ब्रजेश द्वारा कुछ भूमि का विक्रय भी कर दिया है जिसके कारण वादी को उक्त क्रेताओं को पक्षकार बनाना पड़ा है। इसी आदेश में न्यायालय द्वारा यह भी वर्णित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में बंटवारा हो चुका है और उसकी याददाश्त के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को भूमि प्राप्त हो चुकी है। परन्तु वादी द्वारा पूर्व में हुये बंटवारे में उसके स्वयं के स्वामित्व की भूमि का भी बंटवारा होना अभिवचनित किया है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा होना एक साक्ष्य की विषय वस्तु है और साक्ष्य आने पर ही उसका निर्धारण किया जा सकेगा। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति होकर वादी का भी हिस्सा होना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में बहूवाद को रोकने के लिये विवादित भूमि को निर्णय तक संरक्षित रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में पाते हुये न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2013 के द्वारा वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक किसी भी प्रकार से अंतरित न करे।

10- अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सुबोध अवस्थी प्रतिवादी क्र. 2 ने इस संबंध में जिला न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में अपील पेश की जिसमें पारित आदेश दिनांक 30.09.2013 जो वाद क्र. 28ए/11 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील क्र. 14/13 एवं अन्य प्रतिवादी क्र. 5,6,7,9,11,12 द्वारा भी प्रस्तुत अपील क्र. 16/13 प्रस्तुत की गयी उक्त दोनों अपीलों में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा निराकरण किया गया और माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी का अभिवचन अपने आप में अस्पष्ट है। तब उसने उपरोक्त वर्णित भूमि में से कुछ भूमि को अपने स्वामित्व की भूमि बताया और दूसरी तरफ आपसी बंटवारे को स्वीकार करते हुये ही पुनः सभी भूमियों में अपना 1/8



हिस्से की डिक्री चाही है और इसके विपरीत यह भी उल्लेख किया है कि हमलापुर की भूमि का कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त समस्त भूमि में वास्तविक विवादित भूमि कौन सी है इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख वाद पत्र के अनुतोष में नहीं है। वादी ने कुछ भूमि को विवादित बताया है। वहा उसे यह स्पष्ट करना चाहिये था कि वास्तव में संयुक्त परिवार की भूमि होकर विभाजन के बाद कौन कौन सी भूमि विभाजन याददाश्त में अवैध रूप से शामिल की गई और वास्तविक विवाद किस भूमि का है किंतु वादी ने उपरोक्त अस्पष्ट अभिवचन करते हुये माननीय अपील न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेख किया है कि वादी के इस अभिवचन को माना जावे कि उभय पक्ष के मध्य 2006 में विभाजन हो गया और सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक विवाद की स्थिति स्पष्ट न होने से यदि अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि के उपयोग से वंचित किया गया तब निश्चित रूप से उन्हें अपूणीय क्षति होगी और असुविधा भी होगी जबकि वादी वास्तविक विवाद की स्थिति को स्पष्ट करते हुये प्रतिवादीगण द्वारा संभावित विक्रय की जाने वाली भूमि का विक्रय कर उक्त भूमि को विक्रय करने से निषेधित करने हेतु पुनः निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है क्योंकि उभय पक्ष के मध्य पूर्व में बंटवारा हो चुका है और ऐसे में निषेधाज्ञा आदेश पारित करना निश्चित रूप से अपीलार्थी के हितो को प्रभावित करेंगे और प्रकरण में अनेको प्रकार की उलझने भी उत्पन्न होगी। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश की कंडिका 13 में यह भी उल्लेखित किया गया है वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क से स्पष्ट है कि बंटवारा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इंड्राज किया है। ऐसी परिस्थितियों में इस स्टेज पर यह निष्कर्ष देना संभव नहीं है कि कथित विभाजन पत्र या याददाश्त विभाजन में वादी के स्वत्व की भूमि को अवैध रूप से शामिल कर लिया गया है। यद्यपि इस तथ्य की साक्ष्य के आधार पर ही निराकृत किया जा सकता है किंतु जहा बंटवारा स्वीकृतहो और विवादित भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं है और राजस्व अभिलेख में भी इंड्राज हो चुका है वहा बिना तथ्यों पर विचार किये कि वास्तव में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का विक्रय किया जा रहा है, अपीलार्थीगण को विक्रय से निषेधित किये जाने का आशय उन्हें उनके स्वत्व के उपयोग एवं उपभोग से वंचित करना होगा जिनके संबंध में कोई विवाद नहीं है और जो उन्हें विभाजन द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

11- माननीय अपील न्यायालय द्वारा वादी के आवेदन पत्र के अभिवचन को दृष्टिगत रख यही लेख किया है कि वादी के आवेदन पत्र को देखा जावे तो उसने अपने आवेदन पत्र में कही भी यह स्पष्ट नहीं की कि अपीलार्थीगण किस भूमि को विक्रय करने हेतु किस व्यक्ति से अनुबंध कर रहे हैं और कौन सी भूमि व किस व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वादी जिन भूमियों स्वयं की भूमि बता रहा है या जो भूमि उसे हिस्से में प्राप्त हुई है और जिसे अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने बाद में विभाजन याददाश्त में अवैध रूप से मिला लिया है, उक्त तथ्य को स्पष्ट करते हुये मात्र उक्त विवादित भूमियों के विक्रय को निष्पादित करने हेतु अनुतोष चाहा होता तो एक बार संभावनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता था कि चूंकि सभी विवादित भूमियों में उपरोक्त भूमि मुख्य रूप से विवादित है इसलिये उनको विक्रय करने से प्रतिअपीलार्थी/वादी को अपूणीय क्षति होगी या वाद की बाहुल्यता बढेगी, किंतु वादी ने ऐसा न करते हुये संपूर्ण विवादित भूमि के विक्रय करने को निषेधित करने हेतु अनुतोष चाहा है जो कि अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के लिये वादी की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है और इस दृष्टि से सभी विवादित भूमियों को विक्रय से निषेधित करने के संबंध में प्रतिअपीलार्थी/वादी का प्रकरण प्रथम दृष्टि में उसके पक्ष में प्रमाणित मानना उचित नहीं है।

12- माननीय न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश चूंकि इस आधार पर पारित किया गया है कि विचारण न्यायालय ने मात्र वाद की बाहुल्यता बढेगी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर दिया है तब उक्त आदेश को अपास्त किया गया और प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले स्वीकार की थी और यह निर्देशित किया था कि वादी उल्लेखित समस्त स्थितियों को स्पष्ट करते हुये यदि पुनः वास्तविक विवादित भूमियों के विक्रय को निष्पादित करने हेतु निषेधाज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है और यदि ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो पुनः विचारण न्यायालय उस पर विधि अनुसार विचार कर सकता है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वादी ने यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

13- वादी ने यह आवेदन पत्र मौजा ग्राम बांसपानी प.ह.नं. 53 में वर्णित खसरा नंबर तथा मौजा उडदन में स्थित खसरा नंबर तथा उनके रकबे एवं वादी ने ग्राम टिकारी स्थित तीनों खसरा नंबरों के संबंध में पुनः यह आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया है।

14- प्रकरण में यह निर्विवादित है कि दिनांक 28.02.2006 का बंटवारानामा स्वीकृत है और वादी ने भी उस संबंध में कोई विवाद नहीं किया है जबकि वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने स्वीकृत बंटवारानामा को भी निरस्त किये जाने का आदेश चाहा है। वादी ने विवादित बंटवारा दिनांक 30.07.2007 को भी शून्य व प्रभावहीन घोषित किये जाने की सहायता चाही है। द्वितीय बंटवारा दिनांक 30.07.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बंटवारे पर वादी के हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त बंटवारेनामे में यह तथ्य लेख है कि टिकारी की संपत्ति में गलती से रकबा कम लिखा गया है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है ताकि पक्षकारगण के मध्य भविष्य में कोई विवाद न हो।

15- अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पहला बंटवारा दिनांक 28.06.2006 को हुआ है और उसके उपरांत वादी की ओर से जो भी विक्रय पत्र प्रस्तुत किये गये हैं वे प्रथम बंटवारे में प्राप्त भूमियों के विक्रय पत्र हैं। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम बंटवारे के अनुसार ही वादी ने जो प्रतिवादीगण द्वारा भूमि विक्रय किये जाने के विक्रय पत्र प्रस्तुत किये हैं, वे प्रथम बंटवारे अनुसार ही विक्रय की गई हैं। द्वितीय बंटवारानामा दिनांक 30.07.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसमें मौजा दुर्गा वार्ड टिकारी की जो भूमियां खसरा नंबर 206/1, 206/2 एवं 207 को सम्मिलित किया गया है किंतु उसमें कुछ अंश क्षेत्रफल में परिवर्तन किया गया है। द्वितीय बंटवारे के अवलोकन से स्पष्ट है कि इससे वादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वादी की कोई भी भूमि प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय नहीं की गई। ऐसी स्थिति में जहां कि वादी के विवादित भूमियां में स्वत्व आधिपत्य पर कोई प्रथम दृष्टया विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त वादी की यह आशंका कि वादी की भूमियों को विक्रय का प्रयास किया जा रहा है, इस संबंध में कोई स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र आशंका के आधार पर कि प्रतिवादीगण वादी की विवादित भूमियों का विक्रय कर रहे हैं, उचित नहीं है। फिर इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत भी वादी के हित सुरक्षित हैं क्योंकि विवादित भूमियों की स्थिति की सही पहचान जब उभय पक्ष द्वारा संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा तब अंतिम निर्णय की स्टेज पर ही कोई निश्चयात्मक

निष्कर्ष अभिनिर्धारित किया जा सकता है। इस स्टेज पर जहा कि वादी ने प्रथम बंटवारे को स्वीकार किया है और उसपर उसके हस्ताक्षर है। वादी प्रथम बंटवारे से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत विबंधित है। इसके अतिरिक्त यदि प्रतिवादीगण के विरुद्ध अनावश्यक रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया तब प्रतिवादीगण उन्हें प्रथम बंटवारे में प्राप्त भूमि जो कि निर्विवादित है उसके उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेगे। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत यह सुस्थापित विधि का सिद्धांत है कि अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र के निराकरण के दौरान भले ही विचारणीय तीनों तत्व वादी के पक्ष में निर्णित हो जाय तब भी न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि वह अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी करे अथवा नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में भी परिस्थितियां ऐसी ही है।

16- प्रकरण में ऐसी भी परिस्थितियां नही है कि निर्णय के समय वादी को कोई आर्थिक हानि यदि न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित की जाती है तो उक्त हानि की क्षतिपूर्ति निश्चित रूप से वादी को आर्थिक मुआवजे के रूप में किया जाना संभव है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति कारित किये जाने की कोई संभावना नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम बंटवारे में जो भूमियां उभय पक्ष को प्राप्त हुई उनके संबंध में जो राजस्व अभिलेख प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये है उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम बंटवारा के अनुसार राजस्व अभिलेख में उभय पक्ष का नामांतरण भी हो चुका है, अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त प्रकरण में यह भी उल्लेखित है कि प्रतिवादी क. 2 सुबोध द्वारा इस प्रकरण में प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया गया और प्रतिदावा में वादी को प्राप्त एकल रूप से पूर्व खसरा नंबर 206/2 मौजा टिकारी रकबा चार हजार वर्गफुट का भी विवाद है जो प्रथम एवं द्वितीय बंटवारे में शामिल नहीं किया गया है और इस संबंध में वादी का यह कहना है कि उसे पिता द्वारा इकरारनामा दिनांक 19 मार्च 1996 के द्वारा प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में उक्त इकरारनामा की वैधता को भी देखा जाना है और यह भी स्पष्ट है कि उक्त इकरारनामा से प्राप्त भूमियों पर वादी आधिपत्य में होकर उसका उपभोग कर रहा है। इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष उभय पक्ष द्वारा संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही अभिनिर्धारित किया जा सकता है।

विचारणीय बिंदु क्रमांक- 2 एवम 3 :-

17- जहाँ वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया है तब ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का तथ्य एवं सुविधा का संतुलन का महत्व गौण हो जाता है।

18- अतः जहाँ कि वादी के पक्ष में मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का प्रश्न नकारात्मक रूप से अभिनिर्धारित किया गया है तब वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र आई ए नं 19/14 निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(जयदीप सिंह)  
प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग-1  
बैतूल (म.प्र.)

(जयदीप सिंह)  
प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग-1  
बैतूल (म.प्र.)

12— आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रभावी होगा तथा जिसका पारिणामिक प्रभाव प्रकरण के अंतिम निष्कर्ष पर नहीं रहेगा।

प्रतिवादी क्र. 3 की ओर से इस आशय का जवाब पेश किया है कि प्रश्नाधीन संपत्ति झब्बूलाल के द्वारा स्वयं की अर्जित आय से पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1975 के माध्यम से क्रय की है, जिसका स्वत्व एवं आधिपत्य झब्बूलाल बडोनिया को प्राप्त है तथा क्रय दिनांक से ही झब्बूलाल द्वारा उक्त संपत्ति पर अमृतलाल एवम हरिनारायण सहित अन्य व्यक्तियों तथा वादीगण की जानकारी में मालिक काबिज होकर काश्त करते रहा है, उक्त संपत्ति पर झब्बूलाल का भौतिक, वास्तविक एवं स्थापित आधिपत्य विद्यमान है तथा झब्बूलाल द्वारा विधिवत आवेदन पत्र के माध्यम से उक्त संपत्ति राजस्व अभिलेखों में उसके पुत्रों के नाम दर्ज करायी है एवं दिनांक 17.11.1981 से उक्त संपत्ति पर झब्बूलाल के वारसानों का नाम दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने उक्त संपत्ति में अपना काफी धन, श्रम व्यय किया है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण इन प्रतिवादीगणों के पक्ष में है। राजस्व अभिलेखों में इन प्रतिवादीगणों का नाम मालिक, स्वामी और आधिपत्यधारी की हैसियत से दर्ज है इस प्रकार सुविधा का संतुलन इन प्रतिवादीगणों के पक्ष में है। यदि इन वादीगणों के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित

किया गया तो उन्हें अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी रूप में की जाना संभव नहीं है, अतः आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।